64. Chaitanya Balaheena Varga Sankshema Sangam, Seetharamnagar,3rd Line, D. No. 8-20-37/5 Paramaiahkunta, Guntur, Andhra Pradesh.

65. Sri Subrahmanyeswari Mahila Mandali, 7th Line, Srinagar, Guntur, Andhra Pradesh.

66. Devi Weaker Section Mahila Mandali, D. No. 26-1-29, Nagarampalam, Guntur, Andhra Pradesh.

67. The Kanaka Durga Weaker Section Mahila Mandali, Srinagar 7/7, Guntur, Andhra Pradesh.

68. Sri Lakshmi Sri Mahila Mandali, Anjanayapet, Koritepadu, Guntur, Andhra Pradesh.

69. Jhansi Lakshmi Bai Mahila Mandali, Arunadelpet, 10th Line, 1st Cross, Guntur, (Andhra Pradesh.)

70. Sarvodaya Mahila Mandali, Peerthota Manyam, Guntur, Andhra Pradesh.

71. Indira Gandhi Balahina Varga Samkshema Mahila Mandali, D. No. 4-16-81, Bharathpet, 3rd Line, Guntur, (A.P.).

72. Siva Sankar Weaker Section Mahila Mandali, Old Guntur, Yaadayula Veedhi, Guntur, Andhra Pradesh.

73. Chaitanya Weaker Section Development Society, Weavers Colony, Mangalagiri, Guntur, Andhra Pradesh.

74. Anupama Womens Welfare Society, H. No. 1-8-702/42, Behind Sankar Matam, Nallakunta, Hyderabad, Andhra Pradesh.

75. Malakpet Citizens Welfare Association, H. No. 16-3-155, Malakpet, Hyderabad Andhra Pradesh.

76. Social Action for Social Development, 10-2-317/44/1, Vijdyanagar Colony, Hyderabad, (A.P.).

77. Sevashram, Mahabubnagar, Mehabubnagar, Andhra Pradesh.

78. Goodwill Society, Kummara Peta, Tadepalligudam Road, West Godavari, Andhra Pradesh.

लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद को गुजरात की ओर से प्राप्त प्रस्ताव

2036. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद को गुजरात सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है और यह प्रस्ताव किन-किन स्थानों से संबंधित है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (ग) जी नहीं। लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी जाती है। परिषद केवल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देती है।

विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में नलकूपों का लगाया जाना

2037. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक नलकूप लगाए जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में सूखा ग्रस्त तथा कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण इस सप्लाई की परियोजना पूर्व-मूल्यांकन अवस्था में है। लगाए जाने वाले नलकूपों की संख्या सहित ब्यौरे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद ही पता चल सकेंगे। यह परियोजना संभवत: राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों सहित 28 जिलों के 3321 गांवों के लिये होगी।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बिना जल स्रोत वाले और आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों, जिनमें सूखा प्रभावित और कम जल सप्लाई वाले क्षेत्र शामिल हैं, में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के सामान्य योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत मुहैया कराई जाती है। बिना जल स्रोत वाले और आंशिक रूप से कवर किए जाने वाले गांवों बस्तियों को कवरेज का लक्ष्य वार्षिक योजना परिव्ययों में से वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

भूमि की अधिकतम सीमा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता

2038. श्री ईश दत्त यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि के आवंटितियों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 1975-76 से अब तक केन्द्रीय अंश के रूप में 761.95 लाख रुपये की राशि दी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बराबर का अंशदान किया जाता है।

ग्रामीण युवाओं हेतु परियोजना आधारित रोजगार

2039. श्री ईश दत्त यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें परियोजना आधारित कार्यों को आरम्भ करने हेतु प्रोत्सहित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी योजना किन-किन स्थानों पर आरम्भ की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) का उद्देश्य 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी तथा प्रबंधकाय कौशल प्रदान करता है ताकि उद्योग, कृषि और संबंध क्षेत्र, उद्योग, सेवा तथा व्यावसायिक गतिविधियों के व्यापक क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू कर सके। ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों की भी अनुभूति है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र ग्रामीण युवाओं द्वारा सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं अथवा लाभार्थियों की सहकारा/पंजीकृत निकाय द्वारा सामूहिक कार्य जैसी कुछेक परियोजना आधारित योजनाएं भी शुरू की जा सकती है।